आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :–प. 2(3)साप्र/2/2024– 03357 जयपुर, दिनांक : 21-08-2024

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की ऑनलाईन वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवण्टित किया जाता है:–

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आंवटित राजकीय आवास
1.	363	Mr. RAMAVATAR SHARMA (Chief Accounts Officer, Industry)	31-Oct-2038	**404 Model Town**
2.	366	Mr. Ravi Kumar (Assistant Secretary, MHFW)	30-Jun-2030	**504 Model Town**
3.	369	Mr. BHUPENDRA (Additional Superintendent of Police, Home)	31-Dec-2051	**601 Model Town**
4.	370	Mr. ARVIND OLANIA (Senior Chemist, GWD)	31-May-2041	**602 Model Town**
5.	373	Mr. RAJENDRA BHATIA (Vidhi Rachna Adhikari, Law)	31-Jul-2039	**603 Model Town**
6.	374	Dr. PRATIMA YADAV (Assistant Professor, Med. Edu)	30-Nov-2046	**604 Model Town**
7.	375	Mrs REENA SHARMA (Additional Director, SJED)	31-Aug-2032	**301 Model Town**
8.	380	Mrs DR SUNITA DHAKED (Assistant Professor, Med. Edu)	31-Oct-2050	**1/6 Heera Bhag**
9.	381	Mr. RAKESH KUMAR MAHAWAR (Assistant Secretary, Min Affairs)	30-Jun-2037	**605 Model Town**
10.	382	Mr. KULDEEP DEWAL (Personal Secretary, ACA)	30-Nov-2046	**2/5 Heera Bhag**
11.	383	Mr. Ajay Kumar Arya (Project Director, RD)	31-Jul-2040	**702 Model Town**

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2024.08.21 13:22:48 IST
Reason: Approved

9 **क्रम संख्या 1–7, 9 व 11 के आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 300/–(अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।**

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. अधीक्षण अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर को प्रेषित केर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/पुरात्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करें।
9. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करें।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवंटियों मेंसे यदि किसी आवंटी को अस्थायी राजकीय आवास आवंटित हैं तो उन्हे उक्त आंवटित आवास का कब्जे लेने हेतु निर्देशित कर अस्थायी आवास रिक्त कराया जाना सुनिश्चित करे।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय/द्वितीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिकारीगण को ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
19. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय/द्वितीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2024.08.21 13:22:48 IST
Reason: Approved